उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-89 /2018/1796/92-2-2018-107जांच/2015
लखनऊ :: दिनांक:: 13 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर में कराये गये कतिपय निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 जांच में पायी गयी अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री रऊफ अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-27/2016/949/92-2-16-107जांच/2015 दिनांक 29-06-2016 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप पत्र देकर अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री रऊफ अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 31-05-2017 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उनके विरूद्व उक्त नियमावली के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 197/2017/2053/92-2-17-107जांच/2015 दिनांक 06-11-2017 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ के पत्र संख्या-2562/ ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/अधि0अभि0/2017-18 दिनांक 11-09-2017 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 05 आरोपों में से सभी आरोप आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-1680/92-2-17-107जांच/2015 दिनांक 22-09-2017 द्वारा श्री रऊफ अहमद से अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके दिनांक रहित पत्र के माध्यम से शासन में दिनांक 02-11-2017 को प्राप्त हुआ।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त प्रकरण में शासकीय क्षति परिलक्षित न होने तथा अपचारी अधिकारी के सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उन्हें प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर न रह जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 29-06-2016 द्वारा श्री रऊफ अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 06-11-2017 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिविर्तित कर दिया गया है, को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-89 /2018/1796(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- श्री रऊफ अहमद, तत्का0 अधि0अभि0, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर सम्प्रति से0नि0

द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।